ई0 पत्रावली संख्या–55351/2023

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक, 24 मई, 2023**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पूंजीलेखा के अनुदान संख्या–20 में राज्य सैक्टर से पोषित नलकूप एवं नहर निर्माण मद के अन्तर्गत योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1329/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27(एस0सी0एस0पी0), दिनांक 23.03.2023 एवं पत्र संख्या–2259/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27(एस0सी0एस0पी0), दिनांक 27.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नलकूप एवं नहर निर्माण मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत क्वीतड नहर (0.00 – 8.800) कि0मी0 के जीर्णोद्धार की योजना की विभागीय टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 144.36 लाख (रू0 एक करोड़ चवालिस लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 57.74 लाख (रू0 सत्तावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

(v) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(vi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 24/05/2023 11:51 AM

उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(xii) उक्त योजना की स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत लागत के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति के समय कार्यस्थल की उपयुक्तता एवं आवश्यकताओं के अनुसार पाईप का प्रयोग अवश्य किया जाय।

(xiii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।

(xiv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xv) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–02–नलकूप, नहर एवं लघुडाल नहर निर्माण–001–02–राज्यपोषित नलकूप एवं नहर निर्माण–00–53–वृहत निर्माण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक –I/123564/2023, दिनांक 19 मई, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 23-05-2023 18:39:55

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–55351/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 24-05-2023 10:57:14

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 24/05/2023 11:51 AM